प्रेषक,

चकबन्दी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

सेवा में,

समस्त
1. जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी, उत्तर प्रदेश।
2. संयुक्त/उप/सहायक संचालक चकबन्दी, उत्तर प्रदेश।
3. बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक 3335 /जी0–4/5/15 दिनांक 25 अगस्त, 2015

विषय–चक निर्माण के समय रूखबंदी रजिस्टर तैयार करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रायः चक निर्माण के दौरान विशेषकर गरीब व छोटे काश्तकारों को मूल जोत पर चक न दिये जाने, खराब जमीन पर उड़ान चक दिये जाने, प्रस्तावित चकों का रकबा कम कर देने आदि की शिकायतें आती रहती है, जिससे विभाग की छवि धूमिल होती है और इस धारणा को बल मिलता है कि चकबन्दी का लाभ बड़े लोगों को ही मिल पाता है। अतः प्रत्येक स्तर पर यह सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है कि काश्तकारों को यथासम्भव उनकी सहमति से मूल जोत पर ही चक आवंटित किये जाये।

उ0प्र0 जोत चकबन्दी मैनुअल के प्रस्तर–259 में सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा ग्राम में जाकर काश्तकारों को एकत्रित करके यह मालूम कर लेने के निर्देश दिये गये हैं कि कौन काश्तकार किस तरफ चक चाहता है अर्थात् " रूखबंदी " लेकर चक निर्माण किये जाने की व्यवस्था प्रदत्त है।

जोत चकबन्दी मैनुअल का प्रस्तर–259 निम्नवत है :–

"सहायक चकबन्दी अधिकारी आवश्यकतानुसार एक या दो दिन के लिये गाँव के काश्तकारों को एकत्रित करके यह मालूम करें कि कौन काश्तकार किस तरफ चक चाहता है। इस कार्यवाही को रूखबंदी कहते हैं। सहायक चकबन्दी अधिकारी आवश्यकतानुसार मौके का निरीक्षण करके यह भी तय कर लें कि किसी काश्तकार को साधारणतया कहाँ चक देना है। इस बात को वह उसकी अधिकतम जोत के खेतों की स्थिति को देखते हुये तय करेंगे। उन गाटों को लाल पेंसिल से कर दिया जाये, जहाँ उस काश्तकार को चक देना था और उसमें जोत चकबन्दी आकार पत्र–23 की खाता संख्या भी लिख दी जाये।"

प्रायः यह देखने में आया है कि चक निर्माण के समय सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा उपरोक्त दिशा–निर्देश के अनुपालन में रूखबंदी रजिस्टर नहीं बनाये जा रहे हैं जिससे चक निर्माण जैसे चकबन्दी के महत्वपूर्ण कार्य में कृषकों का सहयोग एवं सहभागिता नहीं दिखायी पड़ती है, जो घोर आपत्तिजनक है। चक निर्माण कार्य में पारदर्शिता लाने और इस कार्य को जनहित में अधिक उपयोगी बनाने तथा कृषकों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिये निर्देशित किया जाता है कि ग्राम में स्थल पर जाकर प्रस्तावित किये जाने वाले चकों के बारे में "रूखबंदी रजिस्टर" के संलग्न प्रारूप पर रूखबंदी लेकर चकदारों की अभिरूचि को ध्यान में रखते हुये ग्राम में बैठकर चकबन्दी समिति के सदस्यों एवं ग्रामवासियों की उपस्थिति में चक प्रदिष्टिकरण का सुनिश्चित करें।

साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि चकबन्दी मैनुअल के प्रस्तर–541 लगायत 567 में दिये गये निर्देशों के क्रम में चकबन्दी अधिकारी/बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी/उप संचालक चकबन्दी अपने अधीनस्थ कार्यालय एवं न्यायालयों का समय–समय पर पर्याप्त संख्या में प्रभावी निरीक्षण करते हुये चक निर्माण के दौरान तैयार किये गये रूखबंदी रजिस्टर को अनिवार्य रूप से देखेंगे तथा उक्त रजिस्टर पर इस आशय का हस्ताक्षर भी करेंगें। वे अपनी निरीक्षण टिप्पणी निदेशालय को अवश्य प्रेषित करेंगे।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्रा)
चकबन्दी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

संख्या व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि–

1. निजी सचिव, मा0 राजस्व मंत्री, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, राजस्व विभाग, लखनऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. निदेशालय के समस्त अधिकारीगण।

(सुरेश चन्द्रा)
चकबन्दी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

रूखबंदी रजिस्टर का प्रारूप

ग्राम : तहसील : जनपद :

क्रम संख्या	चक संख्या	चकदार का नाम	मूल गाटा संख्या/ संख्यायें व उनकी मूल्यांकन	चकदार द्वारा वांछित गाटा/गाटाओं की संख्या व उनका मूल्यांकन	चकदार के हस्ताक्षर	चकबन्दी कमेटी/ गवाहों के हस्ताक्षर

दिनांक :
स्थान :

हस्ताक्षर

( )
सहायक चकबन्दी अधिकारी,
क्षेत्र :